

कृषि निदेशालय, बिहार।

आ० सं०-6/स्था०स्थाना-12/15

कृ० / पटना, दिनांक : , 2018

आदेश

कृषि विभागान्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों में लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कर्मियों द्वारा अन्तर प्रमंडल स्थानान्तरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुशंसाओं पर सम्यक विचारोपरांत प्रतिवेदित रिक्तियों के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कंडिका (3) में अंकित प्रमंडल में अगले आदेश तक के लिए निम्नरूपेण स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	कर्मि का नाम/पदनाम/वर्तमान कार्यालय का पदस्थापन का नाम	नव पदस्थापित प्रमंडल का नाम
1	2	3
1	श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, लिपिक, उप कृषि निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, प्रतिनियुक्ति, ई'-किसान भवन, लालगंज (वैशाली)।	सारण प्रमंडल।
2	श्री दीपक कुमार झा, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय उप कृषि निदेशक (पाट) समस्तीपुर	संयुक्त निदेशक (शष्य) दरभंगा प्रमंडल,
3	श्रीमती विनिता रानी, निम्नवर्गीय लिपिक, सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, मगध प्रमंडल, गया। प्रतिनियुक्त कृषि निदेशालय, आगत निर्गत शाखा, बिहार,	संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण बिहार, पटना।
4	मो० फैजअली, लिपिक, अनुमंडल कृषि कार्यालय, भागलपुर।	संयुक्त निदेशक (शष्य) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
5	श्री विरेन्द्र कुमार, लिपिक संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर।	संयुक्त निदेशक (शष्य) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।
6	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, लिपिक, जिला कृषि कार्यालय, खगड़िया।	संयुक्त निदेशक (शष्य) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

- यह स्थानान्तरण इनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है इसलिए इन स्थानान्तरित कर्मियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कर्मियों की वरीयता नव पदस्थापित प्रमंडल में इनके योगदान की तिथि से निर्धारित की जायेगी।
- कंडिका-3 में अंकित संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने नियंत्री कार्यालयों में रिक्तियों के अनुरूप कंडिका-2 में उल्लेखित कर्मियों का पदस्थापन करेंगे।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
- सभी कार्यालय प्रधान अविलंब नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान हेतु विरमित कर देगें पारगमन काल समाप्ति उपरांत ये कर्मि स्वतः विरमित समझे जायेगे।

7. श्रीमती विनिता रानी, नि0व0 लिपिक प्रतिनियुक्ति कृषि निदेशालय में बनी रहेगी।
8. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-571 दिनांक 29.06.2018 के क्रमांक- 6 एवं क्रमांक-16 को विलोपित किया जाता है।
9. क्रमांक-17 पर अंकित श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा, लिपिक जिला कृषि कार्यालय, जमुई के स्थान पर अनुमंडल कृषि कार्यालय, जमुई पढ़ा जाय।

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

/कृ0, पटना, दिनांक- , 2018

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) बिहार, पूर्णियाँ/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित उप कृषि निदेशक (पाट) समस्तीपुर/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक शस्यविद/संबंधित परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित पैकेज कार्यालय पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 579

/कृ0, पटना, दिनांक- 29/6 2018

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten Signature
29.6.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।